अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

का0आ0सं0–निग / सारा–1 (पथ) मुक0–7 / 15 पटना, दिनांक :– 21/1/19

कार्यालय आदेश – 08

श्री नवल किशोर प्रसाद शांडिल्य, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पथ प्रमंडल, जमुई के पदस्थापन काल के दौरान ₹1,04,992.00 मूल्य के सरकारी सामग्रियों का प्रभार नहीं सौंपने के आरोप के लिए कार्यालय आदेश संख्या–290–सहपठित ज्ञापांक–4164 (ई) दिनांक–20.11.03 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में अंकित तथ्य के आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रशाखा–1, जमुई के सामग्री का प्रभार सेवानिवृति की तिथि तक और उसके पश्चात भी नहीं सौंपना अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा है जिसके कारण सरकार को आर्थिक क्षति पहुँची है, के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–4611 (ई) दिनांक–22.07.13 द्वारा श्री शांडिल्य से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री शांडिल्य के पत्रांक–शून्य दिनांक–02.09.13 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में सारतः उल्लेख किया गया कि वर्ष–1989 के मामले में वर्ष–2000 में सेवानिवृति के 3 वर्ष बाद वर्ष–2003 में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके संबंध में वर्ष–2013 में निष्कर्ष पर पहुँचा गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के प्रावधानों का उल्लंघन है, बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही को क्षांत किया जाना चाहिए, उनके द्वारा समर्पित कतिपय बचाव–बयान का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया तथा एकतरफा निष्कर्ष पर पहुँचा गया, जमुई–कौआकोल मिसिंग लिंक की सामग्री की दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कराकर inventry बनाकर किये जाने के अधीक्षण अभियंता के आदेश के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं की गयी, सेवानिवृति के पश्चात भी अव्यवहृत स्टोन मेटल का स्टैक लगाकर मापी कराने का अनुरोध किया गया, जिसपर कोई कार्रवाई नहीं की गयी तथा कुल 26.742 घनफुट स्टोन मेटल के गबन का आरोप बनाकर जमुई थाने में प्राथमिकी संख्या–90 / 03 दर्ज किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा दोष–मुक्त कर दिया गया, तद्नुरूप विभागीय कार्यवाही का फलाफल भी प्रभावी होना चाहिए, प्रतिस्थानी कनीय अभियंता, श्री अख्तर हुसैन द्वारा अव्यवहृत सामग्रियों की अभिरक्षण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा मांगे गये वांछित कागजात / प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

4. श्री शांडिल्य द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव वयान के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री शांडिल्य लगाये गये आरोप को नकार नहीं पाये, क्योंकि इस तथ्य का भी उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया है कि सामग्री का प्रभार सेवानिवृति की तिथि तक अथवा इसके पश्चात क्यों नहीं सौंपा गया। जहाँ तक प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा मांगे गये वांछित कागजात / प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अनुसार प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा मांगे गये कागजात एवं प्रतिवेदन उन्हें उपलब्ध करा दिये गये थे। श्री शांडिल्य के द्वारा किसी भी कागजात की मांग विभाग से नहीं की गयी। इस आधार पर श्री शांडिल्य का द्वितीय कारण पृच्छा मान्य नहीं पाया गया।

5. यह भी पाया गया कि सामग्रियों की अभिरक्षा के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई संबंधित सहायक अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता द्वारा भी नहीं की गयी। अतएव सरकार को हुई क्षति ₹1,04,992.00 के लिए श्री शांडिल्य के साथ–साथ संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी जिम्मेवार पाया गया तथा उक्त क्षति की राशि ₹1,04,992.00 में से ₹65,620.00 की क्षति के लिए श्री शांडिल्य को दोषी पाया गया। अतएव श्री नवल किशोर प्रसाद शांडिल्य, सेवानिवृत कनीय अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–32–सहपठित ज्ञापांक–1032 (ई) दिनांक–25.02.2014 द्वारा श्री शांडिल्य के पेंशन/पेंशन प्रदायी अन्य लाभों से ₹65,620.00 (पैसठ हजार छः सौ बीसरूपये) की वसूली की जाय–का दंड संसूचित किया गया।

6. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री शांडिल्य ने पत्रांक–शून्य दिनांक–12.05.14 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया, जिसकी विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि उक्त अभ्यावेदन में उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में अंकित किया गया था। कोई नया तथ्य अंकित नहीं होने की वजह से विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–148–सहपठित ज्ञापांक–3073 (ई) दिनांक–18.07.14 द्वारा श्री शांडिल्य के पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–12.05.14 को अस्वीकृत कर दिया गया।

7. उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृति के पश्चात श्री शांडिल्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0–1473/2015 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–01.05.18 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

"The proceedings initiated under Memo dated 18.11.2003 in respect of the allegations pertaining to the petitioners posting at Road Division 1, Jamui in 1994 were much prior to four years from the date of issuance of the charge memo. Clearly, the bar under proviso (ii) to Rule 43 (b) of the Bihar Pension Rules applies in the case of charge memo dated 18.11.2003 which forms the basis of the order of punishment dated 25.02.2014.

For the reasons indicated above, the entire proceedings initiated against the petitioner under charge memo dated 18.11.2003 being barred by the provisions contained in the Bihar Pension Rules are unsustainable in law. The punishment dated 25.02.2014 as a result of such initiation, as also the order dated 18.07.2014 passed on the review application are quashed. The petitioner, as a result of quashing of the impugned orders, shall be entitled to all consequential benefits.

8. उक्त के अतिरिक्त जमुई थाना कांड संख्या–90/03 में भी दिनांक–07.09.11 को माननीय न्यायालय के पारित न्यायादेश के द्वारा श्री शांडिल्य के संबंध में अनुसंधान पदाधिकारी के समर्पित प्रतिवेदन (FF) को Accept करते हुए आगे की कार्रवाई हेतु कोई आधार नहीं पाये जाने का निर्णय दिया गया है।

9. अतएव माननीय उच्च न्यायालय के पारित अद्यतन न्यायादेश दिनांक–01.05.18 के सम्यक् विभागीय समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि विभागीय दंडादेश को निरस्त किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में व्यतीत हुए दीर्घकालीन अवधि को दृष्टिपथ में रखते हुए जो अभिमत (observation) गठित किये गये हैं, वह मूलभूत तथ्यो पर आधारित है जिससे असहमत होते हुए उक्त न्यायादेश के विरूद्व एल0पी0ए0 दायर किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक–01.05.18 के अनुपालन के क्रम में श्री शांडिल्य के विरूद्व निर्गत दंडादेश कार्यालय आदेश संख्या–32–सहपठित ज्ञापांक–1032 (ई) दिनांक–25.02.14 एवं उक्त दंडादेश पर पुनर्विचार अभ्यावेदन की अस्वीकृति से संबंधित कार्यालय आदेश सख्या–148–सहपठित ज्ञापांक–3073 (ई) दिनांक–18.07.14 को निरस्त किया जाता है, जिसके फलस्वरूप शांडिल्य को देय परवर्त्ती लाभ अनुमान्य होंगे।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई/उप सचिव, निगरानी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा–3), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नवल किशोर प्रसाद शांडिल्य, सेवानिवृत कनीय अभियंता, अतुल बिलास कुंज अपार्टमेंट, 303, ई०टी०भी० के कार्यालय के निकट, किदवईपुरी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>निबंधित</u>

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 144 (ई) **पटना, दिनांक :–** 7/1/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

7/1/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh